अनुदान संख्या 85 – जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
GRANT No. 85–DEPARTMENT OF BIO-TECHNOLOGY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	323,45,00	363,45,00	332,85,36	–30,59,64
पूरक	Supplementary	40,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				30,07,15

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (3059.64 लाख रु.) दिसम्बर, 2004 में प्राप्त किए गए 4000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 76 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 8 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (Rs.3059.64 lakhs) constituted 76 percent of the supplementary grant of Rs.4000.00 lakhs obtained in December, 2004 and 8 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3425"	Major Head "3425"				
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research				
मू.	O.	31877.00			
पू.	S.	4000.00	32854.93	32804.05	–50.88
पु.	R.	–3022.07			

(I) "अन्य - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(I) Supplementary grant obtained under "Others- Assistance to other Scientific Bodies" remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) ''अनुसंधान और विकास'' - 13250.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2800.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 16050.00 लाख रु. कर दिया गया, यद्यपि, जो कार्य बल द्वारा निधीयन के लिए कम प्रस्तावों की सिफारिश किए जाने के कारण 2777.10 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) ''आई एंड एम सेक्टर - प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों, प्रायोगिक परियोजनाओं, जैव- प्रौद्योगिकी पार्कों और जैव-प्रौद्योगिकी विकास निधि के लिए सहायता'' - 1000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1200.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2200.00 लाख रु. कर दिया गया, यद्यपि, जो योजना आयोग द्वारा देर से स्वीकृति दिए जाने की वजह से कार्य बल की सिफारिश, राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने आदि जैसी औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण 199.77 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) ''अन्य - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम और वैज्ञानिक सलाहकार समिति (समुद्रपारीय)'' के अंतर्गत 369.57 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य बल द्वारा निधीयन के लिए कम संख्या में परियोजनाओं के उपयुक्त पाए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें ''अन्य - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता - वैज्ञानिक संस्थाएं/व्यावसायिक निकाय'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 332.00 लाख रु. का अधिक व्यय (9577.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अप्रचलित उपस्कर को प्रतिस्थापित किए जाने, गंडीपेट में अपने नए परिसर की प्रयोगशाला को सज्जित किए जाने और भवन निर्माण संबंधी अपरिहार्य प्रतिबद्धताओं को समाप्त किए जाने के कारण हुआ।

(A) “Research and Development”- the original provision of Rs.13250.00 lakhs was augmented to Rs.16050.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2800.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.2777.10 lakhs - due to recommendation of less proposals for funding by the Task Force.

(B) “I and M Sector-Assistance for Technology Incubators, Pilot Projects, Biotechnology Parks and Biotech Development Fund”- the original provision of Rs.1000.00 lakhs was augmented to Rs.2200.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1200.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.199.77 lakhs – due to non-completion of formalities like recommendation of Task Force, signing of Memorandum of Understanding with the State Governments etc. owing to late clearance by the Planning Commission.

(II) Under “Others-International Co-operation-International Bilateral Programmes and Scientific Advisory Committee (Overseas)” - saving of Rs.369.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to less number of projects found fit for funding by the Task Force.

2. The above savings were partly offset by excess under “Others-Assistance to other Scientific Bodies-Scientific Institutions/Professional Bodies” – excess of Rs.332.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 9577.00 lakhs) was due to replacement of obsolete equipment, furnishing of laboratory of its new campus at Gandipet and to liquidate inescapable commitments towards construction of building.